न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-104/2012/टोंक (2012/00012)

ग्राम वासियान ग्रम आखतड़ी तह0 मालपुरा, जिला टोंक जरिये प्रतिनिधिगणः-

1. लल्लूराम पुत्र भैरूराम, जाति मीणा,
2. बिरदाराम पुत्र घीसा, जाति रेगर,
3. हसंराज पुत्र रूघा, जाति जाट,
4. कानाराम पुत्र गंगाराम, जाति गुर्जर,
5. महेन्द्र सिंह पुत्र महावीरसिंह, जाति राजपूत,
   समस्त निवासी ग्राम आखतडी, तह0 मालपुरा जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नानगा,
2. ग्यारसा,
3. दूलाराम,
4. रामलाल,
   पुत्रान भागीरथ,
5. रूपा पुत्री भागीरथ,
6. प्रभाती पुत्री भागीरथ,
7. पांची बेवा भागीरथ,
   समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम आखतडी, तह0 मालपुरा, जिला टोंक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक दिनांक 28.3.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 62/2011.

उपस्थितः-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 4.6.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत पारल व ग्राम वासियान आखतडी ने प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज0 सरकार को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आखतडी व पचेवर के चारागाह का बरसाती पानी बहकर ग्राम आखतडी के सार्वजनिक तालाब एवं नहर में जाता रहा है परन्तु कुछ वर्षो से नहर की तरफ जाने वाला बरसाती पानी के रास्त पर मकान व बाड़ों का निर्माण हो गया है तथा यहां आबादी क्षैत्र भी आ गया है एवं तालाब की तरफ जाने वाले पानी को भी कुछ लोगों ने जे0सी0बी0 से डोले लगाकर रोक लिया है जिससे बरसाती पानी गांव की तरफ बहकर घरों में आ जाता है । यदि इस पानी को नाला खोदकर सार्वजनिक तालाब की तरफ मोड़ दिया जावे तो गांव वालों की समस्या समाप्त होगी व पानी भी सार्वजनिक तालाब में इकट्ठा हो जावेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, टोंक के पत्रांक 1225/विकास/मु0म0/09 दिनांक 28.8.2009 के साथ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने पटवारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली । मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 14.9.2009 से धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत खसरा नंबर 633/1 में तरमीम के आदेश दिये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 नानगा पुत्र भागीरथ रेगर ने ग्यारसा वगैरह ग्रामवासियान, सरपंच ग्राम पंचायत पारली के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 29.3.2011 से अपील स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का तरमीम आदेश दिनांक 14.9.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांटस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे तथा दोनों पक्षों के समक्ष मौका स्थिति अनुसार प्रकरण में ग्राम वासियान की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसिम्मत् निर्णय पारित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 28.3.2012 द्वारा अपीलांटस की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 11.9.2009 को मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें स्पष्ट अंकन किया गया है कि खसरा नंबर 742 व 594 में आबादी व मकान तथा बाड़े बन जाने से खाली जगह नहीं है तथा पानी की निकासी में अवरोध उत्पन्न हो गया है जिससे बारिस का पानी गांव में घुस गया था एवं उसके पश्चात् ग्रामवासियान द्वारा खसरा नंबर 633, 734 व 742 में उक्त पानी को सार्वजनिक तालाब में डालने हेतु नाले का निर्माण करवाया जो खसरा नंबर 735 की पश्चिमी मेड़ तक बना हुआ है एवं ग्यारसा व नानगा द्वारा खसरा नंबर 735 की पश्चिमी मेड़ के बाद नाले का निर्माण बंद करवा दिया तथा खेत की पूर्वी व पश्चिमी मेड़ पर डोल लगा दी है । इस प्रकार बरसाती पानी को सार्वजनिक तालाब में डालने के लिये ग्यारसा व नानगा के खसरा नंबर 633/1/2 में से 4 बिस्वा भूमि पर पानी निकासी हेतु नाला बनाया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त 4 बिस्वा भूमि की पूति उत्तरी मेड की ओर 4 गट्टा बढ़ाकर की जा सकती है एवं उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तावति तरमीम का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया था । बरसाती पानी को तालाब में पहुंचाने के लिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट्स बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 633 का कुल रकबा 14–10–00 बीघा है जो संपूर्ण चारागाह आराजियात है लेकिन उक्त भूमि में से 7 बीघा भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी गई जिसकी भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के द्वारा पूर्व के आदेश के अनुसार खसरा नंबर 633 के उत्तरी भाग में तरमीम कर दी गई एवं उक्त भूमि के खसरा नंबर 633/1/2 अंकित किये गये तथा दक्षिणी हिस्से के खसरा नंबर 633/1 पानी की निकासी हेतु नाला तरमीम किया गया है जिसमें रेस्पो0 को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनके पास उनकी चारागाह में मिली खातेदारी की 7 बीघा भूमि पूर्ण है लेकिन रेस्पो0 खसरा नंबर 633 की संपूर्ण आराजियात पर अतिक्रमण के रूप में दखल बनाये रखना चाहते है इसी कारण उन्होंने नाला भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से बाहर जाकर मौके पर पानी निकासी के निशान मौजूद नहीं होना अंकित करते हुए आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा बरसात के पानी की निकासी का रास्ता/नाला अवरूद्ध कर देने के कारण दिनांक 21.7.2009 को ग्राम आखतडी की आबादी में पानी चला गया था । उक्त घटना भविष्य में भी पुनः घटित हो सकती है और जनहानि की संभावना है । ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 633 में होकर पानी निकासी हेतु नाला की तरमीम के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार

कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 28.3.2012 अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 14.9.2009 को बहाल किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष एवं ग्रामवासियान की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें खसरा नंबर 633/1 के एक तरफ तालाब है तथा दूसरी तरफ एक तलाई है । ग्राम वासियान जिस जगह से पानी के बहाव का नाला बता रहे है एवं उसकी तरमीम चाहते है, मौके पर खसरा नंबर 633/1 में से होकर किसी नाले या पानी के बहाव के कोई निशानात नहीं है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्रामवासियान की मौजूदगी में सहमति से राजीनामा होने पर अपीलांटस का प्रकरण खारिज किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अधी0न्यायालय ने अपने निर्णय में उभयपक्षों के निवेदन एवं सहमति के मध्य नजर दिनांक 15.3.2012 को स्थल निरीक्षण पक्षकारान एवं ग्रामवासियान की मौजूदगी में किये जाने का अंकन किया है किन्तु इस संबंध में दिनांक 15.3.2012 की मौका रिपोर्ट अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 633/1 रकबा 7 बीघा भूमि रेस्पो0 को आवंटित हुई है । आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार किया जाकर नक्शें में तरमीम की जाती है । इसलिये यह जांच का विषय है कि क्या रेस्पो0 वर्तमान में जिस जगह काबिज है क्या उसी जगह बरवक्त आवंटन रेस्पो0 को कब्जा सुपुर्द किया गया था अथवा अन्यंत्र । हम अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष की मौजूदगी में पुनः मौका निरीक्षण करवाया जाना एवं रेस्पो0 को आवंटन के समय कब्जा सुपुर्द किये जाने संबंधी दस्तावेजों की जांच करवाया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 28.3.2012 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 104/2012 (2012/00012) बउनवानी ग्रामवासियान आखतडी बनाम नानगा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 62/2011 बउनवान सरपंच ग्राम पंचायत पारली बनाम तहसीलदार, मालपुरा में पारित निर्णय दिनांक 28.3.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष की मौजूदगी में विवादित

भूमि का निरीक्षण करे तथा रेस्पो0 को हुए आवंटन तथा बरवक्त आवंटन कब्जा सुपुर्द किये जाने संबंधी दस्तावेजात की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 4.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर